न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(पीठ)

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या–8 / 2009–10 अन्तर्गत धारा–220 भू–राजस्व अधिनियम

श्री देवीपाल सिंह —बनाम— श्री दलीप सिंह

कोरम :

1.श्री सुनील कुमार मुट्टू, आई0ए0एस0,अध्यक्ष
2.श्री पी0एस0 जंगपांगी, आई0ए0एस0, सदस्य(न्यायिक)

प्रस्तुतकर्ता अधिवक्तागण :

प्रार्थी की ओर से	:	**श्री प्रेमचन्द्र शर्मा।**
प्रतिवादी की ओर से	:	**श्री अरूण सक्सेना।**

बावत

खसरा नम्बर–91 मि0 रकबा 0–3724 है0
स्थित ग्राम–नथुवाला, परगना परवादून,
तहसील व जिला देहरादून।

निर्णय

यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र श्री देवीपाल सिंह पुत्र श्री गिरधारी लाल द्वारा तत्कालीन विद्वान अपर मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा निगरानी संख्या–84 / 2007–08 दलीप सिंह बनाम देवीपाल सिंह में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 19–03–2010 के सापेक्ष प्रस्तुत किया गया है। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अति विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रकरण के पूर्ण इतिहास का उल्लेख करते हुए इस तथ्य पर अत्यधिक बल दिया गया है कि आक्षेपित निर्णय व आदेश का सम्पूर्ण आधार धारा–34(5) भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्राविधानित वाद वर्जना को माना गया है जो कि क्षेत्राधिकार के परे एवं अवैधानिक है क्योंकि न्यायालय के समक्ष इस सम्बन्ध में कोई अनुतोष नहीं मांगा गया था जबकि धारा–34(5) भू–राजस्व अधिनियम की वर्जना नियमित वाद पर लागू होती है न कि नामान्तरण की कार्यवाही पर जिसके सम्बन्ध में सभी परिस्थितियों पर विचार कर निर्णय लिया जाना चाहिए था। यह भी उल्लिखित है कि धारा–201 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्राविधानित पुनर्स्थापन व्यवस्था अधिनियम की धारा–54(6) अथवा धारा–54 के अधीन की गई कार्यवाही पर लागू नहीं होती एवं यह कि आक्षेपित निर्णय व आदेश का पुनर्विलोकन कर उसे निरस्त न किये जाने की स्थिति में उसके कई वैधानिक एवं प्रतिकारात्मक परिणाम होंगे। अतः आक्षेपित निर्णय व आदेश का पुनर्विलोकन स्वीकार कर आक्षेपित आदेश निरस्त कर प्रश्नगत निगरानी सव्यय व विशेष हर्जे सहित निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार हैः– सहायक अभिलेख अधिकारी, देहरादून के समक्ष दलीप सिंह पुत्र ध्यान सिंह (निगरानीकर्ता) ने गिरधारी लाल द्वारा उसके पक्ष में की गई वसीयत के आधार पर नामान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे सहायक अभिलेख अधिकारी ने

अपने आदेश दिनांक 03–04–2007 के अधीन स्वीकार करते हुए दलीप सिंह के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किया। प्रार्थी/उत्तरदाता देवीपाल ने उक्त आदेश के विरूद्व अभिलेख अधिकारी, देहरादून के समक्ष धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई जिसे विद्वान अभिलेख अधिकारी ने मूल कार्यवाही में अपीलकर्ता व अन्य सम्बद्व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान न किए जाने के आधार पर स्वीकार कर इस आशय से प्रतिप्रेषित किया कि सभी सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर मूल कार्यवाही को गुण–दोष के आधार पर निस्तारित किया जाय।

अपीलीय आदेश के विरूद्व इस स्तर पर निगरानी योजित की गई जिसे तत्कालीन विद्वान अपर मुख्य राजस्व आयुक्त ने इस आधार पर स्वीकार किया कि उत्तरदाता देवीपाल सिंह की अपील धारा–34(5) भू–राजस्व अधिनियम से बाधित थी। इसी आदेश के विरूद्व वर्तमान पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र दिनांक 29–03–2010 प्रस्तुत किया गया है। अध्यक्ष, राजस्व परिषद के आदेश दिनांक 24–09–2013 से रिव्यू प्रार्थनापत्र खण्ड पीठ के समक्ष निस्तारण हेतु प्रस्तुत की गई।

हमने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अभिलेखों का सम्यक अनुशीलन किया।

यह सत्य है कि इस स्तर पर योजित निगरानी में तत्कालीन विद्वान अपर मुख्य राजस्व आयुक्त ने उत्तरदाता देवीपाल सिंह द्वारा अभिलेख अधिकारी, देहरादून के समक्ष योजित अपील धारा–34(5) भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत बाधित होने के आधार पर अपीलीय निर्णय व आदेश दिनांक 31–05–2008 को निरस्त किया। विद्वान अपर मुख्य राजस्व आयुक्त ने इस सम्बन्ध में विधिक स्थिति को विस्तृत रूप से विवेचित किया है।

धारा–34(5) भू–राजस्व अधिनियम के प्राविधान के सम्बन्ध में कोई अनिश्चितता/अस्पष्टता नहीं है। इसके अन्तर्गत प्राविधानित वर्जना वाद एवं प्रार्थना पत्र दोनों पर लागू होती है एवं अपील वाद अथवा कार्यवाही की अगली कड़ी है जिस पर भी यह वर्जना लागू होती है।

धारा–201 भू–राजस्व अधिनियम भी स्पष्ट करती है कि एक पक्षीय रूप से अथवा अदम पैरवी में पारित आदेश के विरूद्व कोई अपील ग्राह्य नहीं है। इसी धारा के दूसरे भाग में एक पक्षीय अथवा अदम पैरवी में पारित आदेश के विरूद्व सम्बन्धित पक्ष को वाद/कार्यवाही/पुनर्स्थापन का विकल्प प्रदान किया गया है। अतः वर्तमान प्रकरण में धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम की अपील विधितः अग्राह्य थी। जहाँ तक अधिनियम की धारा–201 के धारा–54(6) अथवा 54(8) के अन्तर्गत प्रवृत्त कार्यवाही पर लागू न होने का विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का अभिवचन है यह धारा प्रकियात्मक (procedural) धारा है जो भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत योजित वादों, कार्यवाहियों अथवा प्रार्थना पत्रों पर समान रूप से लागू होती है।

नामान्तरण की कार्यवाही में उद्घोषणा सार्वजनिक (in rem) होती है। अतः हितधारक द्वारा कार्यवाही में प्रतिभाग न किये जाने की स्थिति में कार्यवाही एक पक्षीय रूप से चलती है। वर्तमान प्रकरण में उद्घोषणा त्रुटिपूर्ण होने का अभिवचन अथवा तर्क नहीं प्रस्तुत किया गया है जिसे आवश्यक होने पर प्रथम अवसर पर उठाया जाना चाहिए।

जहां तक पुनर्विलोकन प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क एवं अभिवचन कि धारा–34(5) की वर्जना सम्बन्धी जो अनुतोष याचित नहीं था उसे नहीं दिया जा सकता है का प्रश्न है, विधिक स्थिति का संज्ञान स्वंय न्यायालय द्वारा लिया जा सकता एवं उचित प्रकरणों में ऐसा संज्ञान अवश्य लिया जाना चाहिए एवं इस हेतु अभिवचन अथवा तर्क प्रस्तुत किये जाने की बाध्यता नहीं है। विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क कि प्रतिप्रेषण आदेश के विरूद्व निगरानी ग्राह्य नहीं है का प्रश्न है, हम इस सम्बन्ध में इस मत के हैं कि यदि अपील विधितः प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी तो ऐसी अपील में पारित प्रतिप्रेषण आदेश निगरानी योग्य है।

एक अन्य तर्क विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि यदि नायब तहसीलदार ने न्यूनतम दो वर्ष की सेवा न पूर्ण की हो वह नामान्तरण आदेश पारित करने का अधिकारी नहीं है का प्रश्न है जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि नामान्तरण आदेश सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित किया गया है न कि नायब तहसीलदार द्वारा अतः इस तर्क की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

भू–राजस्व अधिनियम सम्बन्धी कार्यवाहियों में परिषद की पुनर्विलोकन की शक्ति सम्बन्धी विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उद्वरित न्याय व्यवस्था आर0डी0 1968 पृष्ठ–287 व आर0डी0 1976 पृष्ठ 53 एफ0बी0 (उद्वरण नहीं प्रस्तुत) के सम्बन्ध में कोई मत विविधता नहीं हो सकती है। जहाँ तक न्यायिक दृष्टांत एस0सी0 2009(1) यू0ए0डी0 85 का प्रश्न है, परिषद के समक्ष योजित निगरानी भू–राजस्व अधिनियम से आच्छादित है न कि दीवानी प्रकिया संहिता से। प्रस्तुत अपीलीय आदेश में प्रत्यक्ष अवैधानिकता दृष्टिगोचर होने पर निगरानी प्रत्येक दशा में ग्राह्य होगी।

परिषद की एकल पीठ की व्यवस्था राजस्व निर्णय संग्रह 2005 पृष्ठ 842 कि वसीयत के सम्बन्ध में आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार सहायक अभिलेख अधिकारी को नहीं है का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा–54(8) अति स्पष्ट है जिसमें यह प्राविधानित किया गया है कि सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा स्वत्व का प्रश्न सरसरी जाँच कर निर्णीत किया जायेगा।

दूसरी ओर हम निगरानीकर्ता एवं पुनर्विलोकन विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत हैं कि पुनर्विलोकन प्रकरण अपील का स्थान नहीं ले सकता है एवं प्रार्थी के समक्ष अभी भी धारा–201 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नामान्तरण की कार्यवाही पुनर्स्थापित करवाने का विकल्प उपलब्ध है। यद्यपि ऐसे पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र का निस्तारण विधिक सीमाओं के भीतर ही होगा।

आदेश

उपर्युक्त विवेचना के आलोक में पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में कोई बल नहीं है जिसे अस्वीकृत किया जाता है।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

(सुनील कुमार मुद्दू)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 13–12–2013 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित ।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।